रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 2001/आषाढ़ 7, 1923
No. 331] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 2001/ASADHA 7, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2001

सा. का.नि. 482 (अ).— पासपोर्ट अधिनियम, 1967(1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (I) ये नियम पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2001 कहलाएंगे ।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पासपोर्ट नियम 1980 की अनुसूची IV में टिप्पणी के लिए निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :-

टिप्पणी:— निम्नलिखित मामलों में क्रम सं. 29,30,31,32,33,34, और 35 के अन्तर्गत शामिल बिना बारी के (तत्काल) पासपोर्ट प्रदान करने के लिए यथा लागू केवल पासपोर्ट शुल्क देय होगा, अर्थात् :-

(i) आवेदक को विशिष्ट चिकित्सा तथा परामर्श के लिए विदेश जाने की सलाह दी गई हो ।
(ii) परिचर (केवल एक) जो ऊपर (I) में वर्णित आवेदक के साथ जाएगा ।
(iii) आवेदक के पति/पत्नी/पिता, माता, बच्चे, बच्चे की पत्नी/पति, पौत्र, पौत्री, भाई अथवा उसकी पत्नी, बहन अथवा उसके पति की विदेश में मृत्यु हो जाने के मामले में; और

(iv) छात्र आवेदक के मामले में, जिसे किसी विदेशी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए परीक्षा देने के लिए अथवा अध्ययन हेतु विदेश जाने के लिए पासपोर्ट अपेक्षित हो, बशर्ते उसके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय 2000/-रूपए से कम हो ।

(v) सभी राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए जो अपने राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट के स्थान पर साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन करते हैं ।

(vi) पासपोर्ट धारकों की कोई अन्य श्रेणियां जो सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं ।

[फा०सं० VI/401/38/98-I]

एस०आर० तायल, संयुक्त सचिव (सी०पी०वी०)

टिप्पणी- मूल नियमावली अधिसूचना सं. जी एस आर 657 (ई) दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 (1980 विदेश) भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (I) के अन्तर्गत प्रकाशित तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित :-

1. अधिसूचना सं. जी एस आर 50 (ई) दिनांक 7.2.80
2. अधिसूचना सं. जी एस आर 469 (ई) दिनांक 24.6.82
3. अधिसूचना सं. जी एस आर 325 (ई) दिनांक 12.4.83
4. अधिसूचना सं. जी एस आर 494 (ई) दिनांक 16.6.83
5. अधिसूचना सं. जी एस आर 345 (ई) दिनांक 29.3.85
6. अधिसूचना सं. जी एस आर 860 (ई) दिनांक 1.11.85
7. अधिसूचना सं. जी एस आर 1155 (ई) दिनांक 21.11.88
8. अधिसूचना सं. जी एस आर 100 (ई) दिनांक 4.3.91
9. अधिसूचना सं. जी एस आर 503 (ई) दिनांक 10.7.93
10. अधिसूचना सं. जी एस आर 622 (ई) दिनांक 27.6.90
11. अधिसूचना सं. जी एस आर 605 (ई) दिनांक 5.10.98
12. अधिसूचना सं. जी एस आर 516 (ई) दिनांक 8.7.99
13. अधिसूचना सं. जी एस आर 827 (ई) दिनांक 29.12.99
14. अधिसूचना सं. जी एस आर 34 (ई) दिनांक 12.1.2000
15. अधिसूचना सं. जी एस आर 472 (ई) दिनांक 22.5.2000
16. अधिसूचना सं. जी एस आर 473 (ई) दिनांक 22.5.2000
17. अधिसूचना सं. जी एस आर 485 (ई) दिनांक 23.5.2000
18. अधिसूचना सं. जी एस आर 529 (ई) दिनांक 8.6.2000
19. अधिसूचना सं. जी एस आर 584 (ई) दिनांक 4.7.2000
20. अधिसूचना सं. जी एस आर 632 (ई) दिनांक 25.7.2000

IndiaCode

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2001

G. S. R. 482 (E).— In exercise of the power conferred by section 24 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely:-

1. (1) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule IV to the Passport Rules, 1980, for the 'Note', the following 'Note' shall be substituted namely:-

Note: Only passport fee as applicable would be payable for grant of an out-of-turn Tatkaal passport covered under serial Nos.29,30,31,32,33,34 and 35 in the following cases, namely:-

(i) The applicant has been advised to go abroad for specialised medical treatment and consultation,

(ii) The attendant(one only) who would need to accompany the applicant referred to at (i) above,

(iii) In case of death abroad of spouse, father, mother, child, child's spouse, grand child, brother or his spouse, and sister or her spouse, of the applicant", and

(iv) In the case of a student applicant requiring a passport for appearing in the examination for admission to some foreign education institution, or for going abroad for studies, provided his/her parents'/guardians income is less than Rs.2000/- per month.

(v) All diplomatic/official passport holders who apply for an ordinary passport in lieu of their diplomatic/official passport.

(vi) Any other category of passport applicants to be approved by the government.

[File No.VI/401/38/98-I]

S.R. TAYAL, Jt.Secy. (CPV)

IndiaCode

Note.— Principal rules published vide Notification No. GSR 657(E) dated December11,1980(1980 external) Part II Section 3, sub-section(I), subsequently amended by:-

1. Notification No.GSR 50 (E) dated 7.02.1980
2. Notification No.GSR 469 (E) dated 24.06.1982
3. Notification No.GSR 325 (E) dated 12.04.1983
4. Notification No.GSR 494 (E) dated 16.06.1983
5. Notification No.GSR 345 (E) dated 29.03.1985
6. Notification No.GSR 860 (E) dated 01.11.1985
7. Notification No.GSR 1155(E)dated 21.11.1988
8. Notification No.GSR 100 (E) dated 04.03.1991
9. Notification No.GSR 503 (E) dated 10.07.1993
10. Notification No.GSR 622 (E) dated 27.06.1990
11. Notification No.GSR 605 (E) dated 05.10.1998
12. Notification No.GSR 516 (E) dated 08.07.1999
13. Notification No.GSR 827 (E) dated 29.12.1999
14. Notification No.GSR 34 (E) dated 12.01.2000
15. Notification No.GSR 472(E) dated 22.05.2000
16. Notification No.GSR 473(E) dated 22.05.2000
17. Notification No.GSR 485(E) dated 23.05.2000
18. Notification No.GSR 529(E) dated 08.06.2000
19. Notification No.GSR 584(E) dated 04.07.2000
20. Notification No.GSR 632(E) dated 25.07.2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.